नाथूराम बनाम तीजू देवी मु.नं. 90/15

दिनांक	आज्ञा पत्र
5.5.25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ......5.0...... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 22.5.25 को पेश हो।
22.5.25	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.5.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
27/5/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट ......स्वीकार...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 90 / 2015

1 नानूराम पुत्र घासीराम उम्र 65 साल जाति जाट निवासी ग्राम गुमानपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 तीजू देवी धर्मपत्नी स्व. जोराराम
2 केसर देवी पुत्री जोराराम
3 अर्जुन
4 भींवा
5 श्रवण पुत्रगण जोराराम
6 किसनाराम
7 सागर
8 रिछपाल पुत्रगण जीवणराम
9 पटवारी हल्का मण्ढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 उप पंजीयक दांतारामगढ़।
11 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12 गणपत पुत्र घासीराम
13 तीजूदेवी पत्नी बक्साराम समस्त जाति जाट निवासीगण गुमानपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14 श्रीमती संतरा देवी पत्नी सज्जन सिंह जाति जाट निवासी रामजीपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिल सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अ. धारा 225 राज. काश्त. अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
जिला सीकर बइजलास श्री जगदीश प्रसाद गौड़
आरएएस प्रकरण संख्या 74/2010 टी.आई. उनवानी
नानूराम आदि बनाम जोराराम आदि आवेदन अ. धारा
212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दि. 13.07.2015

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री घनश्याम गठाला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 27/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 74/2010 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 1406 लगायत 1414 वाके ग्राम गुमानपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय में स्वयं द्वारा यह मान्य किया गया है कि खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 19 तक काश्त कालम में घासी का नाम है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 में प्रार्थीगण का नाम अंकित है परंतु विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में भारी भूल की गयी है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कि शेष गिरदावरियां पेश नहीं की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि तहसील दांतारामगढ़ की संवत 2009 से 2018 तथा 2031 से 2033 तक की खसरा गिरदावरियां ही मौके की काश्त के अनुसार बनायी गयी है शेष खसरा गिरदावरियां जमाबन्दी के अनुसार बनायी है। इस प्रकार जो खसरा गिरदावरियां मौके पर काश्त करने वाले व्यक्ति सहित बनायी गयी है उन सबमें अपीलान्ट एवं उने पूर्वजों का नाम अंकित होने के कारण उन सबमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 13 का अपने पूर्वजों के ज़माने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही कब्जा, काश्त प्रमाणित होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलाधीन आवेदन खारिज किये जाने बाबत आदेश पारित किया हुआ होने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि के किसी भी हक, हिस्से की काश्त रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 8 व उनके पूर्वजों द्वारा कभी भी किया जाना प्रमाणित नहीं है। खातेदारी आने के संबंध में वकील प्रार्थी का यह कथन कोई मायने नहीं रखता है कि अप्रार्थीगण ग्राम गुमानपुरा में नहीं रहते है, अन्यत्र रहते है। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के लिए तय किए जाने वाले तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सही रूप से पृथक–पृथक विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, दस्तावेजों इत्यादि का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण नहीं किया गया। मात्र कल्पना व कयास के आधार पर प्रिज्यूडिस होकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 13 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अपीलाधीन आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उसमें दर्शित अनुतोष प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट वादग्रस्त भूमियों के पड़ोसी खातेदार है ओर उक्त भूमियों के दक्षिण–पश्चिम सीमा के सींव जोड़ पड़ोसी खातेदार है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 की पैतृक कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमियां है उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के ससुर 2 ता 5 के दादा तथा 6 ता 8 के पिता – जीवणराम के नाम रही है जीवणराम के उक्त भूमियों का विरासत के आधार पर उसके पिता बींजाराम से प्राप्त हुई है उक्त भूमियों से अपीलान्ट व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति (जोराराम) व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पिता जोराराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 8 अपने गांव चक भारीजा नम्बर 02 तहसील दांतारामगढ़ से काकोट गांव तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर में जाकर जमीन खरीद कर वहा आवास निवासी करने लग गये और इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर पड़ोसी होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 08 की जमीन पर कब्जा करने की बदनीयत से न्यायालय मे झूठा वाद पेश किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर यह झूठा कथन हुए की उक्त 34 बीघा 4 बिश्वा भूमि में से 24 बीघा पर हमारा कब्जा है तथा 22 बीघा 4 बिश्वा भूमि गलत रूप से अपीलान्ट के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पिता जोराराम व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 8 के नाम राजस्व विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से खातेदारी दर्ज हो गई जो इस गांव में रहते भी नहीं है। अपीलान्ट की ओर से विचारण न्यायालय में पेश किये गए वाद का कोई वैध आधार नहीं है न कोई तर्क संगत कारण व तथ्य पेश किया है, महज अपने पड़ोसी खातेदार की जमीन पर कब्जा करने की बदनियत से वाद पेश किया है तथा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश अपना झूठा कब्जा होना बताकर प्राप्त कर लिया जो न्यायालय में अपना कब्जा साबित न कर पाने के कारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का टी.आई. आवेदन विधिवत खारिज फरमाया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गुमानपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबंदी संवत 2066–69 खाता संख्या 41 खसरा नम्बर 1406 ता 1414 किता 9 कुल रकबा 8.65 हैक्टेयर की खातेदारी मोहनलाल, मोतीराम, गोरूराम, हीरालाल, मांगीलाल पिता पन्नाराम हिस्सा 2/5 जाति जाट निवासी चक भारीजा नम्बर 2,

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

चौखा पुत्र पदमा हि. 1/5 मोहन, मोती, नंदा, गोरू, हीरा, मांगु पिता पन्ना हिस्सा 1/5, काना, प्रहलाद, बंशी, गणपत पिता हनुमान हिस्सा 1/5 निवासी चक नम्बर 2 (12 बीघा), जोराराम, किशनाराम, सागर, रिछपाल पिता जीवणराम जाति जाट 22 बीघा 4 बिश्वा निवासी चक मिटाई भारीजा नम्बर 2 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त खसरा नंबरों के पूर्व खसरा नम्बर 605 मि. रकबा 31 बीघा 4 बिश्वा थे। खसरा गिरदावरियां संवत 2009 ता 19 तक काश्त कालम में घासी का नाम है इसके पश्चात नाम अंकित नहीं है तत्पश्चात केवल मात्र संवत 2031 ता 34 में प्रार्थीगण का काश्त कालम में नाम अंकित है। चूंकि दफा 19 में काश्त करने वाले के भूमियों नाम हो चुकी है प्रार्थीगण के पूर्वज के खातेदारी दर्ज नहीं हुई है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि विवादित भूमि में अपीलांट खातेदार काश्तकार नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त भी नहीं है। विवादित भूमि पर कब्जे के संदर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही की गई थी। इसके निर्णय दिनांक 25.10.2023 से विवादित भूमि का कब्जा सज्जन सिंह व संतरा देवी को दिये जाने के आदेश दिये थे। इसकी पालना में दिनांक 29.01.2024 को संतरा देवी व सज्जन सिंह को कब्जा संभलाया गया है। इन दस्तावेजात की प्रति वरवक्त बहस प्रस्तुत की गई है। केवल मात्र दावा लंबित होने के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 212 स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 27/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर